



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में 04 अभियुक्त को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 72,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 151/2007 धारा-452,325,323,324,504,506 भा0द0स0 व 3(1)10 एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर उपरोक्त अभियुक्तगण 1.चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र पुत्र गोविन्द दास लोधी 2.बालादीन पुत्र हरचटियाँ 3.दीनदयाल पुत्र पुतरा को धारा-452,325,323, 324,504,506 भा0द0स0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 22000- 22000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा 04.पूरन पुत्र अयोध्या अहिरवार निवासीगण टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को धारा-452,325,323,324,504,506 भा0द0स0 में दोषसिद्ध करते हुये 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 18000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी विजय सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी मेहश
मिश्रा



पैरोकार- थाना मझगवां
का0 अनिल कुमार